## न्यायालय
# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
## गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025/585 दर्ज तिथिः—11.08.2025

1. खेताराम पुत्र सिदाराम
2. गोमाराम पुत्र सिदाराम
3. डालूराम पुत्र जोगाराम
4. तुलसाराम पुत्र हरचंदराम
5. दोलीदेवी पत्नी सिदाराम
6. भैराराम पुत्र सिदाराम
7. मूलाराम पुत्र सिदाराम
8. लाभूराम पुत्र रिड़मलराम
9. विश्नाराम पुत्र रिड़मलराम
10. माडुदेवी पत्नी खीयाराम
11. सिणगारीदेवी पत्नी चिमनाराम

जाति जाट साकिन आडेल पनजी, धोलानाडा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

...............प्रार्थीगण

*बनाम*

1. केसाराम पुत्र दोलाराम
2. चुतराराम पुत्र खीयाराम
3. डालूराम पुत्र चिमनाराम
4. थानाराम पुत्र खीयाराम
5. दमाराम पुत्र धर्माराम
6. पूराराम पुत्र दोलाराम जाति जाट
7. बालाराम पुत्र पेमाराम जाति सुथार
8. रेखाराम पुत्र खींयाराम
9. रतनाराम पुत्र धर्माराम
10. राजाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट
11. रामाराम पुत्र पेमाराम जाति सुथार
12. लाली पत्नी धर्मा जाति जाट
13. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर।

...........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री ठाकराराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

खेता बनाम केसा
2025 / 585
निर्णय दिनांकः—05.12.2025

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

**—:निर्णयः—**

निर्णय तिथिः—05.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः—
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1037 / 746 / 3.8323 है0, खसरा संख्या 1038 / 746 / 22.7716 है0 मौजा आडेल पनजी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। जो मूल खसरा संख्या 746 से विभाजित है।
   - कि मूल खसरा संख्या 746 से विभक्त नवीन खसरा संख्यान की तरमीम राजस्व कार्मिकों द्वारा मौके पर विद्यमान कब्जे काश्त के अनुसार नहीं कर भिन्न स्थान पर कर दी गई है। जिससे मौके एवं राजस्व रेकर्ड में भिन्नता उत्पन्न हो गई है।
   - कि खसरा संख्या 1038 / 746 एवं संयुक्त रास्ता खसरा संख्या 1039 / 746 / 0.3238 है0 की तरमीम परिशिष्ट 'ब' के अनुसार दर्शायी गई है। जो मौके पर चलायमान रास्ते के अनुसार नहीं है।
   - कि खसरा संख्या 1037 / 746, 1038 / 746 एवं चलायमान रास्ता खसरा संख्या 1039 / 746 की तरमीम वर्तमान मौके की स्थिति अनुसार परिशिष्ट 'अ' के अनुसार किये जाने का निवेदन किया है।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। खसरा संख्या 1037 / 746, 1038 / 746 एवं चलायमान रास्ता खसरा संख्या 1039 / 746 की तरमीम वर्तमान चलित रास्ता अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू—नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जाकर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

4. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 836 दिनांक 06.10.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 1037 / 746, 1038 / 746 एवं चलायमान रास्ता खसरा संख्या 1039 / 746 की तरमीम परिशिष्ट—'अ' के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

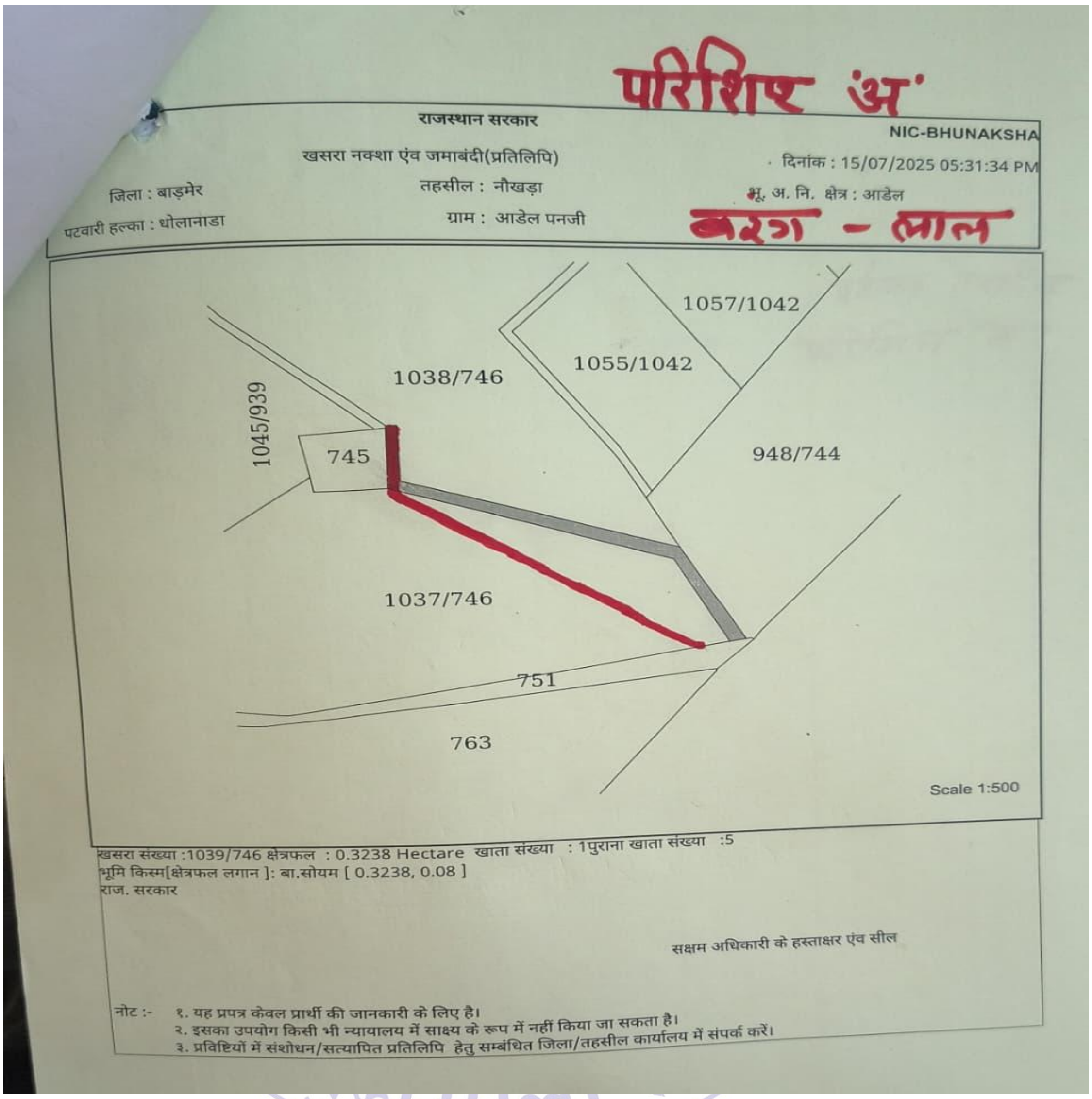


6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 836 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन करने पर पाया कि खसरा संख्या 1037 / 746, 1038 / 746 व 1039 / 746 की सही तरमीम परिशिष्ट 'अ' अनुसार किया जाना आवश्यक है जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता समाप्त हो जायेगी। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट–अ

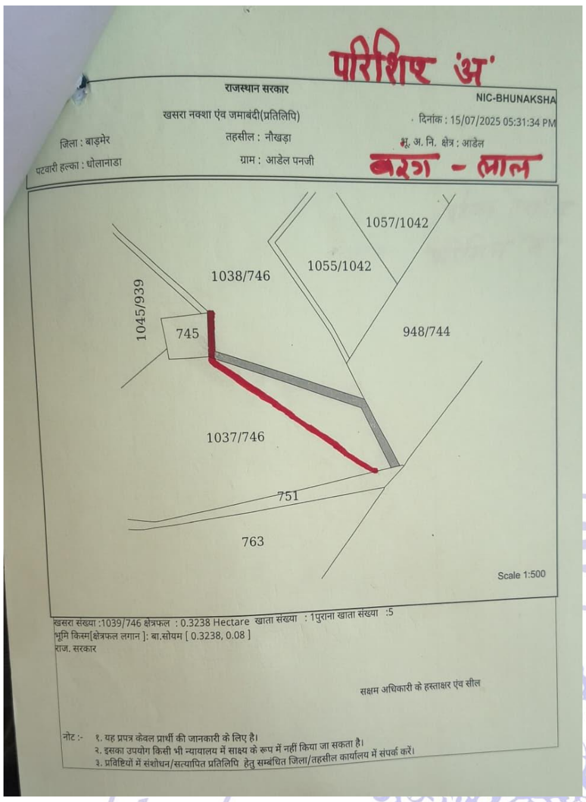


परिशिष्ट–ब

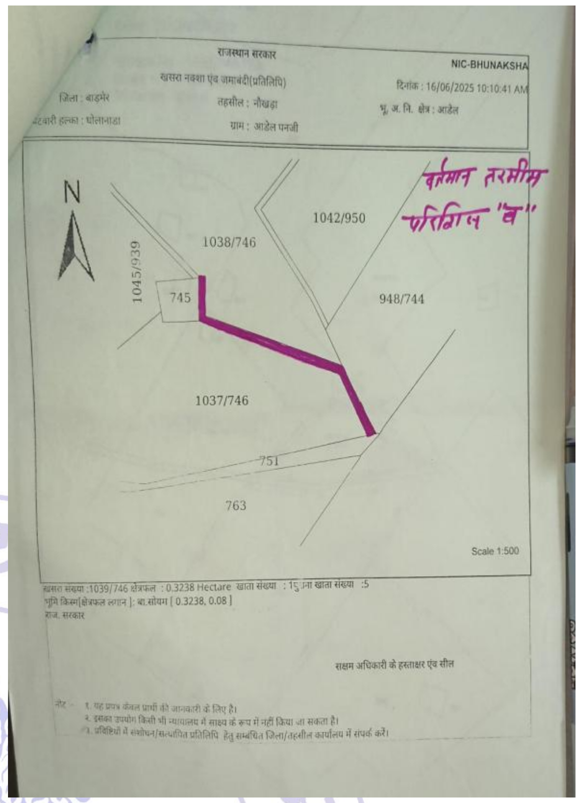


7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 836 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–
    1. कि हाल राजस्व रिकॉर्ड माफिक खसरा संख्या 1037 / 746 का रकबा 3.8323 है0 है तथा खसरा संख्या 1038 / 746 का रकबा 22.7716 है0 है।
    2. कि हाल राजस्व नक्शे में रकबा बरारी करने पर ज्ञात होता है कि असल में राजस्व नक्शे में माफिक रकबा बरारी खसरा संख्या 1037 / 746 का रकबा 4.6036 है0 है तथा खसरा संख्या 1038 / 746 का रकबा 22.0003 है0 है। जो कि जमाबंदी के रकबे से मिलान नहीं करता है।
    3. कि आराजी खसरा संख्या 1037 / 746, 1038 / 746 व मौके पर रास्ता खसरा संख्या 1039 / 746 किस्म गै0मु0 रास्ता की तरमीम मौका के विपरीत अंकित की गई है।
    4. कि आराजी खसरा संख्या 1037 / 746, 1038 / 746 के मध्य से संलग्न परिशिष्ट–अ बरंग लाल के अनुसार मौके पर रास्ता खसरा संख्या 1039 / 746 चालू है।
    5. कि मौके पर रास्ता वर्तमान तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अनुसार चालू नहीं है।
    6. कि खसरा संख्या 1037 / 746, 1038 / 746 एवं 1039 / 746 की तरमीम संलग्न परिशिष्ट–अ के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। जिससे जमाबंदी एवं नक्शे के रकबे की भिन्नता समाप्त हो जायेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 836 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 836 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 836 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

*राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 836 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।*

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested